# Reliance
Industries Limited

Growth is Life

पंजीकृत कार्यालय: ३री मंजिल, मेकर चेम्बर्स ४, २२२, नरीमन पाइंट, मुंबई – ४०० ०२१.
फ़ोन: +९१-२२-२२७८ ५००० • फ़ैक्स: +९१-२२-२२७८ ५१११ • इ-मेल: investor_relations@ril.com
CIN: L17110MH1973PLC019786

# सूचना

## (कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)

**विषय.: कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में हस्तांतरण**

यह सूचना कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचीत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफण्ड) नियम, २०१६ जो की ७ सितंबर, २०१६ से प्रभावी और २८ फरवरी, २०१७ को संशोधित किए गए है (''नियम'') के तहत प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित हुई है.

**अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है.**

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए कम्पनी ने १८ अप्रैल २०१७ के पत्र के हवाले से व्यक्तिगत रूप से उन संबंधित शेयरधारकों को उचित कार्रवाई करने के उद्देश से सूचित किया है जिनके शेयर वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में आईईपीएफ प्राधिकरण में उक्त नियमों के तहत उपयुक्त कॉर्पोरेट कार्रवाई के द्वारा स्थानांतरित किए जाने के भागी हैं.

वित्त वर्ष २०१६-१७ के दौरान, आईईपीएफ नियमों के अनुरूप, उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण में स्थानांतरित किए जाने के भागी शेयरों के संबंध में संबंधित शेयरधारकों को पहले ही २४ अक्टूबर २०१६ को एक संचार भेजा गया है.

**कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट www.ril.com पर अपलोड कर दी है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेदावा लाभांश के विवरण और शेयरों जो आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वे वेब लिंक http://www.ril.com/InvestorRelations/ ShareholdersInformation.aspx देखें.**

**शेयरधारक ध्यान दे कि बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किए जा सकते हैं.**

**संबंधित शेयरधारक, फिजिकल रूप में शेयर धारण करने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दे कि नियमों के अनुसार कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर-परक्राम्य मान लिए जाएंगे. शेयरधारक आगे ध्यान दे कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया विवरण इन नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त सूचना समझा जाना चाहिए.**

संबंधित शेयरधारकों से १८ जुलाई, २०१७ या ऐसी अन्य तारीख जब तक बढ़ाई जाए तब तक कम्पनी को कोई संचार प्राप्त न होने के परिस्थिती में, कम्पनी, नियमों में वर्णित आवश्यकताओं का पालन करने के दृष्टिकोण से, आईईपीएफ प्राधिकरण को नियत दिनांक को कार्पोरेट कार्रवाई द्वारा शेयर डीमटेरियलाइज़ और हस्तांतरण कर देगी जैसे नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

अगर शेयरधारकों का इस विषय और नियमों पर कोई भी सवाल है, तो वे कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट **कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.,** श्री एस. पी. वेणुगोपाल, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, गछीबावली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – ५०० ०३२. **टेली:** + ९१-४०-६७१६ १७००/१७०१; **फ़ैक्स:** + ९१-४०-६७१६१६८०; **टोल फ्री नं.:** १८००-४२५८-९९८. **ईमेल:** rilinvestor@karvy.com से संपर्क करें.

**रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड** के लिए
हस्ताक्षरी/-
के. सेथुरामन
ग्रुप कम्पनी सेक्रेटरी और
चीफ कंम्पलायंस ऑफीसर

स्थान : मुंबई
दिनांक : ९ मई, २०१७

www.ril.com

Size: 24 x 12 cm